दिनांक 25.06.2024
प्रेस विज्ञप्ति 30/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद एटा/थाना अलीगंज

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **05 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद**

दिनांक 24.06.2024 की रात्रि थाना अलीगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बड़ागांव तिराहे के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त शमशाद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 05 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना अलीगंज पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना अलीगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शमशाद निवासी ग्राम गोटिया थाना जैथरा जनपद एटा।

बरामदगी

1—05 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा।

जनपद मेरठ/थाना कोतवाली नगर

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 06 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 24.06.2024 को थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बुढाना मोड़ के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल

सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो मोटर साइकिल सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–अजय 2–मोहित घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 06 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 15.06.2024 को थाना बुढाना क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बुढाना पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद मोबाइल फोन लूट की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त अजय के विरूद्ध जनपद मेरठ के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 28 अभियोग एवं अभियुक्त मोहित के विरूद्ध जनपद मेरठ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 20 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अजय निवासी कसेरवा थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर, हालपता बिजली बम्बा रोड थाना ब्रम्हापुरी जनपद मेरठ।

2–मोहित निवासी माधवपुरम थाना ब्रम्हापुरी जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–लूट के 06 मोबाइल फोन।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–01 मोटर साइकिल।

जनपद इटावा/थाना जसवन्तनगर

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी का 07 बैट्रा**
- **01 बोलेरो कार बरामद**

दिनांक 24/25.06.2024 की रात्रि थाना जसवन्तनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बस अड्डा चौराहा के पास से अभियुक्त रूचित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी का 07 बैट्रा, 01 बोलेरो कार बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना जसवन्तनगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रूचित निवासी ग्राम झिगुपुर थाना सैफई जनपद इटावा।

बरामदगी

1—चोरी का 07 बैट्रा।

2—01 बोलेरो कार।

एएनटीएफ/एएनटीएफ थाना गोरखपुर/झाँसी

- **अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहा 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **50 हजार रूपये नगद**
- **लगभग 80 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) का 01 कुन्तल 60 किलोग्राम अवैध गांजा**
- **01 ट्रक बरामद**

दिनांक 25.06.2024 को एएनटीएफ थाना गोरखपुर व एएनटीएफ थाना झाँसी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बाईपास कट थाना मंडाना जनपद कोटा राजस्थान से अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे अभियुक्त प्रदीप को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 50 हजार रूपये नगद, लगभग 80 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) का 01 कुन्तल 60 किलोग्राम अवैध गांजा, 01 ट्रक बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना मंडाना जनपद कोटा राजस्थान पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—प्रदीप निवासी खुम्बा थाना हांसी जनपद हिसार हरियाणा।

बरमदगी

1—50 हजार रूपये नगद।

2—लगभग 80 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) का 01 कुन्तल 60 किलोग्राम अवैध गांजा।

3—01 ट्रक।

- **जनपद एटा/थाना मारहरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 80 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना मारहरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त नीतू उर्फ नीटू को 12 वर्ष के कठोर कारावास व 80 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद सोनभद्र/थाना जुगैल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना जुगैल पर पंजीकृत अभियोग में धारा 326/308 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त राम सुभग को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

——————